

ज्ञापांक 2173 साठा०

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, घनबाद।  
दिनांक :- 6/03/18

सेवा में,

मो० आशीष रसीद अनसारी

पिता - अब्दुल रसीद अनसारी

आम - बोस्फुर गनी कलोनी, को०-वासेपुर

भाना - लैक्मोड, जिला - घनबाद



विषय :- आचरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

:::::0 0 0:::::

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा विजेश हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र  
निर्गत संबंधी आवेदन पर याना प्रभारी लैक्मोड के ज्ञापांक 773/18  
दिनांक 3/3/18 के अनुसार आपके विलङ्घ याना अभिलेख में कोई शिकायत  
दर्ज नहीं है।

*(Signature)*

5/3/18

वरीय पुलिस अधीक्षक,

घनबाद अधीक्षक

वरीय पुलिस अधीक्षक

घनबाद

ज्ञापांक 2174 साठा०

वरीय पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, घनबाद।

दिनांक :- 6/03/18

सेवा में,

अब्दुल रसीद अनसारी

पिता - अब्दुल गनी

आम - बोस्फुर, पो०-वासेपुर

भाना - लैक्मोड, जिला - घनबाद



विषय :- आचरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र के संबंध में।

:::::0 0 0:::::

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा विजेश हेतु चरित्र प्रमाण-पत्र  
निर्गत संबंधी आवेदन पर याना प्रभारी लैक्मोड के ज्ञापांक 774/18  
दिनांक 3/3/18 के अनुसार आपके विलङ्घ याना अभिलेख में कोई शिकायत  
दर्ज नहीं है।

*(Signature)*

5/3/18

वरीय पुलिस अधीक्षक,

वरीय पुलिस अधीक्षक

घनबाद



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।  
( सामान्य शाखा )

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या..... 1355 /धनबाद दिनांक..... 30/5/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक—2173/साठशा०, दिनांक—  
06.03.2018 के द्वारा बिजनेश हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार पर मो०  
आशीफ रसीद अन्सारी, पिता— अब्दुल रसीद अन्सारी, सा०—बासेपुर गनी  
कॉलोनी, पो०—बासेपुर, थाना— बैंक मोड़, जिला— धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध  
थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र छः माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद /  
DEPUTY COMMISSIONER  
DHANBAD



उपायुक्त—सह— जिला दण्डाधिकारी, धनबाद।  
( सामान्य शाखा )

आचरण प्रमाण पत्र

संख्या 1356 /धनबाद दिनांक 30/5/18

वरीय पुलिस अधीक्षक, धनबाद के ज्ञापांक-2174/साठशा०, दिनांक-06.03.2018 के द्वारा विजनेश हेतु निर्गत आचरण प्रमाण—पत्र के आधार पर अब्दुल रसीद अन्सारी, पिता— अब्दुल गनी, सा०—बासेपुर, पो०—बासेपुर, थाना—बैक मोड़, जिला— धनबाद (झारखण्ड) के विरुद्ध थाना अभिलेख में कोई शिकायत दर्ज नहीं है।

यह प्रमाण पत्र ४ माह का समयावधि के लिए मान्य होगा।



उपायुक्त, धनबाद /  
DEPUTY COMMISSIONER  
DHANBAD